पत्रांक – 305 दिनांक 2/2/2021

दिनांक– 27.01.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा पंजी संधारित।

दिनांक– 27.01.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में समीक्षोपरान्त निम्नाकिंत बिन्दुओं पर आवश्यक निर्णय लिए गए एवं निदेश दिए गएः–

(i) बन्दोबस्त पदाधिकारियों के लिए MIS :– बैठक में दिए गए निदेश के अनुपालन में बन्दोबस्त पदाधिकारियों के लिए तैयार किए गए MIS सॉफ्टवेयर को उपस्थापित किया गया, जिसके अनुसार निम्नाकिंत बिन्दुओं के आधार पर बन्दोबस्त पदाधिकारियों की MIS के आधार पर समीक्षा की जानी है– (i) सर्वे कार्यों की पाक्षिक समीक्षात्मक बैठक (ii) प्रत्येक सप्ताह ग्रामों का निरीक्षण (iii) सरकारी विभागों भू–सम्पदा की विवरणी के प्राप्ति की स्थिति (iv) अंचलों से बन्दोबस्त भूमि का विवरण प्राप्त करने की स्थिति (v) प्रपत्र–5 की प्रविष्टि का सॉफ्टवेयर में संधारण (vi) प्रपत्र–2 एवं 3(1) को सॉफ्टवेयर में संधारण की स्थिति (vii) ग्रामों में त्रि–सीमाना का फिक्स करने का निरीक्षण (viii) ग्राम–सीमा सत्यापन का निरीक्षण (ix) मोन्यूमेंट किए गए पिलरों की संख्या (x) खानापुरी प्रारंभ हुए कुल ग्रामों की संख्या

बैठक में बताया गया कि उक्त MIS को बन्दोबस्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है।

बैठक में MIS में समीक्षा के लिए निर्धारित बिन्दुओं पर विमर्श किया गया एवं विर्मशोपरान्त निर्णय लिया गया कि ग्राम–सीमा सत्यापन और मोन्यूमेंटेशन की समीक्षा के लिए लक्ष्य निर्धारण स्पष्ट किया जाए। समीक्षा के लिए निर्धारित बिन्दु "खानापुरी प्रारंभ हुए कुल ग्रामों की संख्या" को हटाने का निर्णय लिया गया। MIS के माध्यम से की जानेवाली समीक्षा के लिए बिन्दुओं को लक्ष्यवार स्पष्ट करते हुए MIS में संशोधन करने का निदेश दिया गया। साथ ही बन्दोबस्त पदाधिकारियों के मूल्यांकन के लिए (POP) Percentile Performance Objective Parameters तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में निदेशित किया गया कि मूल्यांकन के लिए Objective & quantifiable Parameters एवं Weightage तैयार कर बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अविलंब उपलब्ध कराया जाए ताकि आगामी माह से इस आधार पर उनके कार्यों की समीक्षा की जा सके।

(ii) ETS का क्रय :– प्रतिवेदित किया गया कि ETS क्रय करने के सम्बन्ध में निदेशानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

निर्णय लिया गया कि ETS क्रय करने के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताओं को यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए। साथ ही इस सम्बन्ध में GEM के माध्यम से की जाने वाली कार्रवाई को भी पूर्ण कर यथाशीघ्र आपूर्तिकर्त्ताओं को ETS की आपूर्ति गंतव्य जिला पर करने का स्पष्ट निदेश दिया जाये।

(iii) जिला बन्दोबस्त कार्यालय एवं शिविर कार्यालय की समीक्षा :– बैठक में विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि जिला बन्दोबस्त कार्यालय एवं शिविर कार्यालय में आधारभूत सुविधाओं एवं आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता तथा अनुश्रवण के लिए जिला एवं शिविर के लिए अलग–अलग District & Camp Inventory Management System का प्रारूप तैयार किया जाए।

इसके तहत् विगत् समीक्षात्मक बैठकों में अनुश्रवण के लिए निर्धारित 32 बिन्दुओं के आधार पर जिला बन्दोबस्त कार्यालय एवं शिविरों में सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की जाए। शिविर स्तर पर किए जाने वाले निरीक्षण के लिए Camp Visit Monitoring System (CVMS) का Software बनाने का निर्णय लिया गया है।

निदेश दिया गया कि जिला एवं शिविर स्तरीय सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की जाए एवं Visit Register प्रारूप जिलों को उपलब्ध कराया जाए।

(iv) सरकारी भूमि की सूची :– प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा जिला स्तर पर विभागों के भूमि की विवरणी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अनुश्रवण के लिए जिलावार विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणी का प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन के अनुसार कुछ विभागों के द्वारा अभी तक कोई विवरणी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

निदेश दिया गया कि जिन सरकारी विभागों द्वारा अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है, उनके विभागाध्यक्ष को निदेशालय स्तर से स्मारित किया जाए।

(v) विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का प्रशिक्षण :– विमर्शोंपरांत निर्णय लिया गया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सतत् प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

निदेश दिया गया कि माह– फरवरी–मार्च, 2021 का प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर आगामी समीक्षात्मक बैठक में उपस्थापित किया जाए।

(vi) विशेष सर्वेक्षण संबंधी जन–जागरूकता :– प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तर पर जन–जागरूकता के संबंध में किए जा रहे कार्यों के अनुश्रवण के लिए MIS तैयार कर लिया गया है एवं आगामी माह से MIS के माध्यम से इसकी समीक्षा की जाएगी।

निदेश दिया गया कि जन–जागरूकता संबंधी कार्यों का सतत् पर्यवेक्षण किया जाए।

(vii) मानचित्रों के Door Step Delivery :– प्रतिवेदित किया गया कि मानचित्रों के Door Step Delivery के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। इसके कार्यान्वयन के संबंध में कुछ तकनीकी समस्याएँ आ रही है, जिसे अतिशीघ्र दूर कर लिया जाएगा। बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया कि मानचित्रों के Door Step Delivery के प्रारंभ होने के बाद नई दिल्ली एवं मुंबई से होनेवाले मानचित्रों की बिक्री पर पुर्नविचार किया जाना आवश्यक होगा।

उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय एवं आई0टी0 सेल, प्रभारी को Door Step Delivery के संबंध में आनेवाली सभी समस्याओं को दूर करने का निदेश दिया गया। साथ ही विमर्शोंपरांत निर्णय लिया गया कि Door Step Delivery प्रारंभ होने के पश्चात् नई दिल्ली एवं मुंबई से होनेवाले मानचित्रों की बिक्री की समीक्षा कर वहां से प्लॉटरों के बारे में निर्णय लिया जाए।

(viii) मानचित्रों की बिक्री :– उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा मानचित्रों की बिक्री से सम्बन्धित प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। यह भी बताया गया कि मुंगेर सदर के अंचल अधिकारी द्वारा राज्य के सभी मानचित्रों का सॉफ्ट डाटा अपलोड करने की कार्रवाई नहीं की गई है और इसके लिए आवंटन की मांग की गई है।

मानचित्रों की बिक्री की समीक्षा करने के पश्चात् सदर अंचलों में प्रतिदिन 25 एवं प्रमंडलीय स्तर के अंचलों में 50 मानचित्रों की बिक्री प्रतिदिन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्त्तमान प्रतिवेदन के अनुसार जिन अंचलों में मानचित्रों की बिक्री शुन्य है, वहाँ पदस्थापित कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव दिया जाए। उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग मुंगेर सदर अंचल के अंचलाधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव विभाग में अविलंब समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(ix) DILRMP के तहत भारत सरकार को समर्पित किए जानेवाले प्रस्ताव :– प्रतिवेदित किया गया कि भारत सरकार के निदेशानुसार सभी आवश्यक प्रस्ताव समर्पित किए गए है एवं आय–व्यय प्रतिवेदन (Expenditure Report) समर्पित किया जाना है।

निदेश दिया गया कि भारत सरकार से प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन करते हुए सभी प्रतिवेदन यथाशीघ्र समर्पित किया जाय।

(x) भू–नक्शा सॉफ्टवेयर एवं Texual and Spatial Data Integration :– विमर्शोंपरांत निर्णय लिया गया कि इस संबंध में दो तरह के कार्य तकनीकी एवं विधायी संशोधन कार्य किए जाने है। विधायी कार्यो के आधार पर ही तकनीकी कार्रवाई किया जाना संभव है।

निदेश दिया गया कि इस विषय से संबंधी आवश्यक सॉफ्टवेयर सम्बन्धी प्रावधानों के संबंध में विमर्श करने के लिए निदेशक के स्तर से बैठक की जाए एव प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाय। इस संबंध में उप सचिव, श्री मनोज कुमार झा द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण (Presentation) आगामी समीक्षात्मक बैठक में देने का निदेश दिया गया।

(xi) DoLR Status :– निदेशालय स्तर से DoLR Status में की जानेवाली प्रविष्टियों की समीक्षा की गई। उपरोक्त प्रतिवेदन में सर्वे/री–सर्वे, आधुनिक अभिलेखागार भवन एवं सी0एल0आर0 में की गई प्रविष्टि के संबंध में पृच्छा की गई। इन तीनों बिन्दुओं पर भारत सरकार से संपर्क स्थापित कर प्रविष्टियों के मानकों में बदलाव करने का अनुरोध करने का निदेश दिया गया ताकि राज्य द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में राज्य की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो सके।

(xii) बन्दोबस्त पदाधिकारियों की सुविधाओं एवं अवकाश के संबंध में :– प्रतिवेदित किया गया कि बन्दोबस्त पदाधिकारियों को प्रदान की जानेवाली आवश्यक सुविधाओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई है, जबकि उनके अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने के संबंध दिशा–निर्देश दिया जाना है।

विचार हुआ की बन्दोबस्त पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त से आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्राप्त करेंगे, एवं निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप की स्वीकृति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ना सुनिश्चित करेंगे।

(xiii) विशेष सर्वेक्षण कार्य में GIS Layer का संधारण :– प्रतिवेदित किया गया कि जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य अंतर्गत प्रपत्र–6 के डाटा इंट्री करने के क्रम में Polygons & Points से संबंधित GIS Layer के संधारण के लिए बनाये गए User Manual में निदेश दिए गए है।

निर्णय लिया गया कि GIS Layer के संबंध में जी0आई0एस0 सलाहकार एक प्रस्तुतीकरण तैयार करेंगे एवं आगामी बैठक के पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(xiv) **<u>मुख्यालय स्तर से क्षेत्रीय कार्यों का निरीक्षण</u>** :– विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों के सतत् अनुश्रवण के लिए आवश्यक है कि निदेशालय स्तर के पदाधिकारियों का क्षेत्रीय कार्यों का निरीक्षण हेतु भ्रमण कार्यक्रम तैयार कर ली जाए।

निदेश दिया गया कि निदेशालय स्तर से पदाधिकारियों के फरवरी, 2021 के भ्रमण कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: – 17–विशेष सर्वेक्षण कार्यवाही – 84/2019 305 **पटना, दिनांक** :– 2/2/2021

प्रतिलिपि:– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/उपनिदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना /प्रभारी तकनीकी कोषांग/सभी नोडल पदाधिकारी/श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार/श्री विजय सम्राज्य, सहायक, बी0पी0एम0यू0 भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: – 17–विशेष सर्वेक्षण कार्यवाही – 84/2019 305 **पटना, दिनांक** :– 2/2/2021

प्रतिलिपि:– सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: – 17–विशेष सर्वेक्षण कार्यवाही – 84/2019 305 **पटना, दिनांक** :– 2/2/2021

प्रतिलिपि:– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: – 17–विशेष सर्वेक्षण कार्यवाही – 84/2019 305 **पटना, दिनांक** :– 2/2/2021

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप